

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या - 120/2008/उदयपुर.

सहायक आयुक्त, प्रतिकरापवंचन, उदयपुर.

.....अपीलार्थी.

बनाम

मैसर्स रौनक डिस्ट्रिब्यूटर्स (प्रा.) लिमिटेड,  
11, सारंग मार्ग, उदयपुर.

.....प्रत्यर्थी.

खण्डपीठ

श्री जे. आर. लोहिया, सदस्य

श्री अमर सिंह, सदस्य

उपस्थित : :

श्री एन. एस. राठौड़,

उप राजकीय अभिभाषक

.....अपीलार्थी की ओर से.

श्री सी. बी. अग्रवाल, अभिभाषक

.....प्रत्यर्थी की ओर से.

दिनांक : 22/5/2014

निर्णय

यह अपील सहायक आयुक्त, प्रतिकरापवंचन, उदयपुर (जिसे आगे 'कर निर्धारण अधिकारी' कहा जायेगा) द्वारा उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर विभाग, उदयपुर (जिसे आगे 'अपीलीय अधिकारी' कहा जायेगा) के अपील संख्या 124/आरएसटी/07-08 में पारित किये गये आदेश दिनांक 31.01.2008 के विरुद्ध राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे 'वैट अधिनियम' कहा जायेगा) की धारा 83 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गयी है। अपीलीय अधिकारी ने उक्त आदेश से कर निर्धारण अधिकारी के आदेश दिनांक 11.10.2007 के विरुद्ध प्रस्तुत अपील को स्वीकार किया है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रत्यर्थी व्यवहारी के व्यवसाय स्थल का सर्वेक्षण दिनांक 31.5.2007 को किया गया था। वक्त सर्वेक्षण वर्ष 2005-06 की लेखा-पुस्तकों की जांच में कर निर्धारण अधिकारी ने पाया कि प्रत्यर्थी ने आलौच्य अवधि में राज्य के बाहर से मैसर्स एस्सल एग्रो प्रा0 लिमिटेड एवं मैसर्स ए.एस.सी. एन्टरप्राइजेज लिमिटेड, नोएडा नई दिल्ली में डिजिटल डिकोडर घोषणा-पत्र प्रपत्र एस.टी.18ए से विक्रयार्थ मंगवाये। विक्रेता कम्पनियों ने भी अपने चालान/इन्वॉयस में माल की दर व कीमत दर्शाते हुए 'एफ' फॉर्म के समर्थन पर विक्रयार्थ प्रेषित किया। प्रत्यर्थी व्यवहारी ने भी उक्त माल के विक्रय बिलों में दर अंकित करते हुए बिक्री मूल्य के बराबर सिक्योरिटी दर्शाते हुए आलौच्य अवधि में कुल रूपये 1,09,50,600/- की बिक्री की गई है, जिसके बिक्री बिल जारी नहीं किये हैं, जबकि लेखा-पुस्तकों में इस माल के विक्रेताओं से लीज पर माल मंगवाते हुए डिजिटल डिकोडर्स के उपभोक्ताओं को Right to use के आधार पर दर्शाते हुए लीज राशि पर 5 प्रतिशत से लीज कर


लगातार.....2

वसूल किया गया है। विक्रय उपरान्त 'एफ' फॉर्म संख्या 00281732 से 00281737 जारी किये गये हैं। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रत्यर्थी के स्थानीय क्रेता व्यवहारियों से जांच पर पाया कि उन्होंने प्रत्यर्थी से माल लीज पर नहीं लेकर क्रय किया है तथा लेखा-पुस्तकों में इसे कर चुकी खरीद दर्शाकर जमाखर्च किया है। स्थानीय क्रेताओं के साथ किसी प्रकार के लीज एग्रीमेंट का साक्ष्य नहीं मिला। जांच के आधार पर कर निर्धारण अधिकारी ने आलौच्य अवधि के लिये राजस्थान विक्रय कर अधिनियम, 1994 (जिसे आगे 'अधिनियम' कहा जायेगा) की धारा 29, 65 एवं 58 सपठित वेट अधिनियम की धारा 100 के तहत नोटिस जारी किया तथा प्रत्यर्थी के जवाब से असंतुष्ट होकर व्यवहारी द्वारा वसूले गये अधिक लीज कर रुपये 1616/- को अधिनियम की धारा 63 के तहत जब्त करते हुए नियमित कर निर्धारण आदेश में करापवंचित बिक्री रुपये 1,09,50,600/- मानते हुए 14 प्रतिशत कर रुपये 15,33,084/- धारा 65 के तहत शास्ति रुपये 30,66,168/- तथा धारा 58 के तहत ब्याज रुपये 3,67,940/- आरोपित की गई। आदेश से क्षुब्ध होकर अपीलीय अधिकारी के समक्ष आरोपित कर रुपये 9,85,554/-, शास्ति रुपये 30,66,168/- व ब्याज रुपये 3,67,940/- को चुनौती दिये जाने पर अपीलीय अधिकारी ने अपीलाधीन आदेश से व्यवहारी की अपील स्वीकार करते हुए व्यवहारी द्वारा Right to use के तहत विक्रय को विधिसम्मत मानते हुए अतिरिक्त कर, शास्ति व ब्याज को अपास्त करने के विरुद्ध विभाग द्वारा यह द्वितीय अपील प्रस्तुत की गयी है।

उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

अपीलार्थी विभाग के विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि प्रत्यर्थी द्वारा राज्य के बाहर से कर योग्य माल घोषणा-पत्र एस.टी.18ए व 'एफ' फॉर्म के समर्थन से विक्रय हेतु आयात कर स्थानीय व्यवहारियों को विक्रय किया है, जिन्होंने कर चुकी खरीद दर्शाते हुए माल का जमाखर्च अपने लेखा-पुस्तकों में किया है। प्रत्यर्थी व स्थानीय क्रेताओं के बीच किसी प्रकार के लीज एग्रीमेंट के अभाव में प्रत्यर्थी ने 14 प्रतिशत से कर योग्य माल पर 4 प्रतिशत लीज कर वसूल कर अन्तर कर का करापवंचन किया है, जिसे अपीलीय अधिकारी ने Lease Agreement के तहत Right to use हेतु विक्रय स्वीकार कर अविधिक आदेश पारित किया है, जो कि अपास्तनीय है।

अग्रिम कथन किया कि प्रत्यर्थी द्वारा करापवंचन की नीयत से नियोजित तरीके से लीज एग्रीमेंट के तहत विक्रय दर्शाकर माल का विक्रय किया है तथा लेखा-पुस्तकों व विवरण पत्रों में छुपाया है, जिसे पर कर निर्धारण अधिकारी द्वारा विधिसम्मत रूप से कर व शास्ति आरोपित की थी, लेकिन अपीलीय

 लगातार.....3


अधिकारी ने मात्र लेखा-पुस्तकों में जमाखर्च के आधार पर शास्ति अपास्त की है, जिसे अविधिक होने के कारण अपास्त किये जाने पर बल दिया। विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक ने कर समय पर जमा नहीं होने के कारण ब्याज आरोपण को भी उचित बताया।

उक्त आधारों पर अपील स्वीकार कर कर निर्धारण अधिकारी के आदेश को बहाल किये जाने पर बल दिया।

प्रत्यर्थी के विद्वान अभिभाषक ने लिखित बहस में कथन किया कि प्रत्यर्थी के माल सप्लायर में एस्सल एगो लिमिटेड ने प्रत्यर्थी को कमीशन एजेंट के रूप में नियुक्त कर रखा था तथा उनके साथ रेंटल आधार पर माल सप्लायर के भविष्य के ग्राहकों को स्वयं या रिटेलर के जरिये 5 वर्ष के लिये दिया जाना था। इस आशय का एक एग्रीमेंट प्रत्यर्थी के साथ सप्लायर मैसर्स एस्सल एगो द्वारा किया गया था। करार की शर्तों 2, 11 व 19 की ओर ध्यान आकृष्ट कर कथन किया कि ग्राहकों को माल केवल Right to use आधार पर दिया जाना था न कि बिक्री आधार पर। अग्रिम कथन किया कि प्रत्यर्थी द्वारा स्थानीय व्यवहारियों को माल के न तो विक्रय बिल जारी किये गये थे न ही बिक्री कर वसूल किया गया था। केवल डिस्पेच मीमो जारी किये गये थे, जिनमें 5 वर्ष के लिये रेंटल आधार पर माल का उपयोग किये जाने के स्पष्ट निर्देश अंकित थे तथा इस आशय की मोहर भी अंकित की गई थी, कि "Supplied against refundable security deposit for installation at customer premises against rental - NOT FOR SALE".

अग्रिम कथन किया कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रत्यर्थी के पीठ पीछे उसके रिटेल डिस्ट्रिब्यूटर्स से जांच की गई। जांच से प्रत्यर्थी को न तो अवगत कराया गया, न ही उनसे प्रति-परीक्षण कराया गया। ऐसी स्थिति में ऐसी जांच की कोई वैधानिक स्वीकृति नहीं कही जा सकती। कथन के समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टान्त उद्धरित किये गये :-

- (1) (1987) 66 एस.टी.सी. 292 (एस.सी.)  
केरला ग्लू फैक्ट्री बनाम सेल्स टैक्स ट्रिब्यूनल
- (2) (1986) आर.टी.सी. 64 (राजस्थान)  
वाणिज्यिक कर अधिकारी बनाम राजस्थान एल्यूमिनियम इण्डस्ट्रीज
- (3) (2003) 16 एस.टी.टी. 13 (रा.क.बो.)  
सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी बनाम बेदला फ्लोर मिल एण्ड एलाइड इण्डस्ट्रीज प्रा० लि०
- (4) (2011) 31 टैक्स अपडेट 153 (रा.क.बो.)  
वाणिज्यिक कर अधिकारी प्रतिकरापवंचन बनाम न्यू गंगानगर टिम्बर मार्ट



लगातार.....4

अग्रिम कथन किया कि प्रत्यर्थी ने 5 प्रतिशत से लीज टैक्स एवं 10.3 प्रतिशत से सेवा कर वसूल कर जमा कराया है।

यह भी कथन किया कि उक्त स्थिति के बावजूद यदि स्थानीय क्रेता व्यवहारियों ने ग्राहकों को माल डिस्कान्ट की बिक्री की हो तो राज्य में प्रथम बिन्दु पर उन्हें ही कर देयता के लिये उत्तरदायी माना जा सकता है, क्योंकि प्रत्यर्थी ने उन्हें केवल 5 वर्षीय रेंटल आधार पर माल सप्लाई किया था।

यह भी कथन किया कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा घोषणा-पत्र एस.टी.18ए को आधार मानकर माल विक्रयार्थ आयात करना माना है जो कि तथ्याधारित नहीं है। घोषणा-पत्र एस.टी.18ए का उपयोग राजस्थान विक्रय कर नियम 1995 के नियम 53(ii) के तहत किया जाता है। घोषणा-पत्र केवल माल के राज्य के बाहर से आयात हेतु रोड़ परमिट है। यह कतई आवश्यक नहीं है कि घोषणा-पत्र के समर्थन से केवल अन्तर्राज्यीय व्यवहार में माल विक्रयार्थ ही आयात किया जाता है।

अन्त में कथन किया कि अपीलीय अधिकारी ने अधिनियम की धारा 65 के तहत आरोपित शास्ति को अपास्त कर विधिक भूल नहीं की है, क्योंकि विवादित पण्यवर्त प्रत्यर्थी के लेखा-पुस्तकों में इंद्राजित किया गया है। तर्क के समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टान्त उद्धरित किये हैं :-

- (1) (2010) 27 टैक्स अपडेट 43 (रा.क.बो.)  
मैसर्स साधवानी ट्रेडर्स बनाम वाणिज्यिक कर अधिकारी
- (2) (2011) 30 टैक्स अपडेट 9 (राजस्थान)  
प्रिंस स्टोन कं० बनाम वाणिज्यिक कर अधिकारी प्रतिकरापवंचन
- (3) (2007) 19 टैक्स अपडेट 85 (राजस्थान)  
लॉर्ड वेंकटेश्वर केटर्स बनाम वाणिज्यिक कर अधिकारी प्रतिकरापवंचन

उक्त आधारों पर अपीलीय आदेश का समर्थन करते हुए विभागीय अपील को अस्वीकार किये जाने पर अनुरोध किया।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया, कर निर्धारण अधिकारी की पत्रावली का अवलोकन किया गया तथा उद्धरित न्यायिक दृष्टान्तों का ससम्मान अध्ययन किया गया। प्रत्यर्थी एवं उसके सप्लायर मैसर्स एस्सल एगो प्रा० लि० के मध्य एक करार होना पाया जाता है जिसके अनुसार प्रत्यर्थी व्यवहारी सप्लायर से राज्य के बाहर से प्राप्त माल को Disc Antenna (डिस्काउंट) लगाने वाले ग्राहकों को 5 वर्षीय लीज रेंटल पर उपलब्ध करवाना है। करार के तहत माल प्रत्यर्थी को सप्लायर्स द्वारा प्रेषित किया गया है तथा सप्लाई मीमो पर

लगातार.....5

करापवंचन की मंशा स्पष्ट प्रमाणित होती है। प्रत्यर्थी के विद्वान अभिभाषक द्वारा उद्धरित सभी न्यायिक दृष्टान्तों में करापवंचन के आरोप में करापवंचन की मंशा प्रमाणित नहीं होने के कारण शास्ति अपास्त की गई है, जो कि प्रस्तुत प्रकरण में लागू नहीं होते, या प्रत्यर्थी के सहायक नहीं है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने 19 टैक्स अपडेट 85 में पैरा 16 में स्पष्ट सिद्धान्त प्रतिपादित किया है। निर्णय के सुसंगत अंश उद्धरित करना समीचीन होगा :-


"In fact, there are series of such judgments and one need not multiply authorities on this issue and the position of law is settled that penalty under Section 65 of the Act cannot be imposed on the assessee unless the revenue establishes that there is deliberateness on the part of the assessee or conscious concealment of taxable turnover with the purpose to avoid or evade the tax and such penalty cannot be imposed merely because the contention of the assessee that particular sale is not taxable is rejected or explanation furnished by him is not found to be acceptable by the revenue. Something more is required to be done by the revenue to bring on record such material which after being confronted to assessee and his explanation with regard to the same being decided clearly points out that he carried a malafide intention of not paying the tax in question and concealed such taxable turnover and sale from the revenue and failed to pay tax thereon without any reasonable cause."


प्रत्यर्थी द्वारा विधिशून्य करार के माध्यम से माल का Lease के आधार पर क्रय किया जाना, स्थानीय व्यवहारियों से विवादित माल की समस्त विक्रय मूल्य वसूल किये जाने तथा उन क्रेताओं द्वारा माल कर चुके क्रय किये जाने तथा प्रत्यर्थी का राज्य में प्रथम बिन्दु पर कर दायित्व होते हुए भी करापवंचन की मंशा से बिलों में Lease agreement for right to use के अभाव में बिक्री कर अदा नहीं किया जाना प्रमाणित होता है। इसलिए इस पीठ के सुविचारित मत में प्रत्यर्थी द्वारा करापवंचन की नीयत से लेखा-पुस्तकों एवं विवरण-पत्रों में कर दायित्व छुपाने के कारण अधिनियम की धारा 65 के तहत शास्ति आरोपणीय है।

अपीलीय अधिकारी ने तथ्यों की विधिक स्थिति पर समुचित विचार किये बगैर अपील को स्वीकार कर विधिक भूल की है। अतः अपीलीय आदेश को अपास्त किया जाकर कर निर्धारण अधिकारी के आदेश की पुष्टि की जाती है।

परिणामस्वरूप राजस्व की अपील स्वीकार की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।

  
( अमर सिंह )  
सदस्य

  
( जे. आर. लोहिया )  
सदस्य  
22/5/14